न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या 12 / 89 / 2017

अपीलार्थी
श्री रितेश कुमार पुत्र श्री लीलाराम चौधरी
निवासी–श्याम नगर कॉलोनी, बीजवाड रोड़,
शाहजहाँपुर, तहसील–नीमराना (अलवर) राज0

बनाम

प्रत्यर्थी
लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड
अधिकारी नीमराना (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 15.01.2018

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ, शामिल पत्रावली किया गया।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 23.10.2017 के माध्यम से लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड कार्यालय नीमराना (अलवर) को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर पूर्व में ग्राम–फौलादपुर, तह0 नीमराना स्थित चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटवाने बाबत प्रस्तुत प्रा.पत्र पर की गई कार्यवाही बाबत सूचना चाही गई थी।
5. उक्त प्रा.पत्र दि0 23.10.17 के परिप्रेक्ष्य में वांछित सूचना नहीं मिलने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रा.पत्र दि. 24.11.2017 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट / ए.डी.एम. प्रथम / आर.टी.आई.अपील / 2017 / 1670–71 दिनांकः 04.12.2017 के माध्यम तलब कर दिनांकः 22.12.17 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया। उसके पश्चात् पत्रांकः 1743–44 दिनांकः 08.01.18 के माध्यम से स्मरण–पत्र जारी कर दिनांकः 15.01.18 को प्रकरण में वांछित सूचना के साथ स्वयं या प्रतिनिधि को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया।
7. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से दिनांकः 15.01.18 को कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्रांकः 2017 / 1684 दिनांकः 12.01.18 के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जवाब में अंकित किया है कि " प्रकरण में तहसीलदार नीमराना को पत्रांकः 864 दिनांकः **27.10.17 के माध्यम से अन्तरण कर** रिपोर्ट चाही गई थी, तहसीलदार नीमराना द्वारा पत्रांकः 91 दिनांकः 11.01.18 के माध्यम से अवगत कराया है कि ग्राम–फौलादपुर तह0 नीमराना जिला–अलवर में चारागाह के अतिक्रमण के संबंध में माह दिसम्बर 2017 में आ.ख.नं.च 717, 719 रकबा 99.9 हैक्टेयर किस्म चारागाह का धारा 91–एल.आर.एक्ट के तहत भौतिक रूप से अतिक्रमियों को बेदखल किया जा चुका है लेकिन वर्तमान में लोकसभा उप चुनाव के मध्येनगर रखते हुए आगामी दिनों में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी जिसके संबंध में संबंधित अपीलार्थी को भी अवगत कराया जा चुका है। "
8.. उक्त अपील अन्तर्गत प्रत्यर्थी द्वारा आवेदक का प्रा.पत्र दिनांकः 23.10.17, अधिनियम की धारा 6(3) में वर्णित निर्धारित समयावधि में दि0 27.10.17 को तहसीलदार नीमराना को सूचना उपलब्ध कराने हेतु भिजवाया गया है।

9. आलोच्य प्रकरण में आवेदक के प्रा.पत्र दि0 23.10.17 पर तहसीलदार नीमराना द्वारा पत्रांकः आर.टी.आई./18/91 दिनांकः 11.01.18 के माध्यम से विनिश्चय कर आवेदक को सूचित किया है। प्रकरण में तहसीलदार नीमराना द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विनिर्दिष्ट समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाकर लगभग 02 माह विलम्ब से सूचना उपलब्ध कराई गई है। जो उक्त अधिनियम के प्रति उदासीनता, लापरवाही एवं अकर्मण्यता का घोतक है।

10. यद्यपि अतिक्रमण का हटाया जाना, समस्याओं के समाधान/परिवेदनाओं का निस्तारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत कवर नही होता है तथापि उक्त प्रकार के प्राप्त होने वाले प्रा.पत्रों पर तद्नुसार निर्धारित समयावधि में ही विनिश्चय किया जाकर आवेदकों को सूचित किया जाना आवश्यक है।

11.प्रकरण में सूचना प्रदत्त है किन्तु विनिश्चय उक्त अधिनियम के अनुसार विलम्ब से किया गया है। अतः प्रकरण में सूचना उपलब्ध कराने/विनिश्चय विलम्ब से करने के लिए तहसीलदार नीमराना से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अनुशासनिक कार्यवाही की जावे।

12. उक्त अपील उक्तानुसार स्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है।

13 आदेश की प्रति उभय पक्ष के साथ–साथ तहसीलदार नीमराना को भी प्रेषित की जावे।

14. निर्णय घोषित ।

(बनवारीलाल रमण)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)